न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला– राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :–दिवांशु शर्मा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 93/17
दायर दिनांक– 18.10.2017
निर्णय दिनांक– 29.11.2019

अनवान

1 भैरूलाल पिता लहरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
2 किशनलाल पिता लहरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
3 विष्णु पिता जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा

वादी

—: : बनाम : :—

1 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द
2 तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
3 अर्जूनलाल पिता बलदेव जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
4 शोभालाल पिता बलदेव जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
5 जीतमल पिता कासीराम जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
6 मनोहरलाल पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
7 बंशीलाल पिता ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
8 श्यामलाल पिता ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
9 गिरवर पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
10 शांतिलाल पिता ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा व विभाजन

निर्णय

वादी ने वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा व बॅटवारा का संक्षिप्त में प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम जूणदा की वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 499 में आराजी संख्या 2032 रकबा 28 बीघा 12 विश्वा कृषि भूमि दर्ज है। उक्त कृषि भूमि आराजी के खातेदार भैरूलाल पिता गोरीशंकर 1/4, वरदीचन्द, ईश्वरलाल, जीतमल व हीरालाल पिता कासीराम 1/4, भैरूलाल 1/6, बलदेव 1/6, धन्ना 1/6 पिता नारू ब्राहम्ण सा.देह अंकित किया गया जो जमाबन्दी संवत् 2050–2053 व 2054–2057 में दर्ज है। उक्त आराजी में उक्त वर्णित जमाबन्दीयों में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के चलते लेहरूलाल के बजाय भैरूलाल व जमना के बजाय धन्ना दर्ज किया जो गलत है। जबकि लेहरूलाल व जमनालाल सही अंकित करना था। उक्त त्रुटि के चलते उक्त दोनो का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त भी उनके वारिसान के नाम पर अब तक नामान्तरकरण तक नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का से निवेदन कई बार किया गया किन्तु उन्होंने इस त्रुटि को दूर करने से स्पष्ट मना कर देने पर वादीगण द्वारा विधि सम्मत नोटिस देने के पश्चात्

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

कानूनी कार्यवाही करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जमाबन्दी संवत् 2054–2057 के खाता नम्बर 420 व नया व 410 पुराने में भ्झी अंकित नाम सही भी दर्ज करना था किन्तु इसमें सेटलमेण्ट के दौरान गलत अंकन किया जो सदभाविक त्रुटि है। जबकि उक्त गलत नाम के कोई भी व्यक्ति नारू जी की वल्दियत के कोई है ही नहीं जिसके चलते इस आराजी के खातेदार लेहरूलाल व जमनालाल के स्वर्गवास के बाद भी नामान्तरकरण अब तक नहीं हो सका है, न ही बॅटवारा हो पा रहा है। वादीगण के पिता का नाम गलत दर्ज चलने के कारण वादीगण का हक एवं हिस्सा प्रभावित हो रहा है जो आज तक वादीगण के नाम पर दर्ज नहींहो पा रहा है न ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करा पा रहे है, जिसके चलते विधिवत बॅटवारा कराने व काश्त करने के लिए आये दिन विवाद की स्थिति रहती है। प्रतिवादी संख्या 03 से 10 सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में उचित संशोधन कर वादीगण के नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का निवेदन करने पर पंजीकृत सूचना देने पर भी उनके द्वारा नही मानने पर वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि आराजियात में वादीगण के पिता का नाम दुरस्त कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 से 10 बावजुद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया कि वादी अपने वाद स्वयं साबित करावे। पक्षकारान अन्य कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहते है । माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय उदयपुर द्वारा पुर्व ओदश दिनांक 09.09.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया की प्रकरण में तहसीलदार से विधिवत जांच कराई जाकर पता लगाया जाये की राजस्व रिकॉर्ड में जमना लाल पिता नारू जो दर्ज था उसे ही धन्ना पिता नारू दर्ज किया गया है। या धन्ना पिता नारू पुर्वानुसार ही अकिंत किया गया है इसी प्रकार भैरूलाल का अकंन सही है अथवा अपीलांट के कथनानुसार लेहरूलाल दर्ज होना चाहिए तथा इस तथ्य की भी जांच करवाई जावे की मौके पर वास्तव में कौन लोग काबिज है आवश्यकता होने पर स्थायी निकाय से भी इसका सत्यापन करवाया जाकर सही नामों की जाचं करवायी जावे तथा मौके कब्जे की जाचं करवाई जाकर प्रकरण में विधि पुर्वक निर्णय पारित किया जावे। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा माननीय निर्णय की अनुपालना में मौका रिर्पोट ली गई की ग्राम जुणदा के आराजी नम्बर 2032 रकबा 28–12 बीघा के वर्तमान जमाबंदी सवंत 2070 –2073 में मनोहरलाल पिता जीतमल 1/8 जीरवर पिता जीतमल 1/16 बंशीलाल, श्यामलाल, शांतीलाल पिता ईश्वरलाल 1/6 हि.ब. वरदीचन्द, गिरवर, खेमराज पिता जीतमल 6/16 मनोहरलाल पिता जीतमल 1/16 हि.ब. बंशीलाल, श्यामलाल, शांतीलाल पिता ईश्वरलाल 1/16 हि.ब. भैरूलाल 1/6 बाहम्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त आराजीयात के कब्जे की जानकारी करने पर जाहीर आया की उक्त आराजी के 1/2 भाग पर मनोहर पिता जीतमल, गिरवर पिता खेमराज, बंशीलाल, श्यामलाल, शांतीलाल पिता ईश्वरलाल ब्राहम्ण कब्जा होकर अपने 1/2 हिस्से में पशु चराने के लिए छोड रखा

सहायक कलक्टर

है। शेष रही 1/2 भुमि में लहरू, बलदेव, जमना पिता नारू का कब्जा था जिनकी मृत्यु होने से वर्तमान में लहरू के वारिसान भैरूलाल, किशनलाल, बलदेव के वारिसान अर्जुनलाल, शोभालाल, जमना के वारिसान विष्णु का वर्तमान में कब्जा होकर 1/2 भाग में पशु चराते है तथा मौतबिरानो जाहिर किया की ग्राम जुणदा में भैरूलाल पिता नारू एवं धन्ना पिता नारू ब्राहम्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है अतः जमना पिता नारू का ही धन्ना पिता नारू एवं लहरू पिता नारू का ही भैरू पिता नारू नाम दर्ज कर दिया है जो गलत है सुधारा जावे। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्राप्त रिर्पोट अनुसार भैरूलाल पिता नारू एवं धन्ना पिता नारू ब्राहम्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है अतः जमना पिता नारू का ही धन्ना पिता नारू एवं लहरू पिता नारू का ही भैरू पिता नारू नाम दर्ज कर करवाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें।

अतः वादी का वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम जुणदा के आराजी संख्या 2032 रकबा 28–12 बिघा में जमना पिता नारू का नाम धन्ना पिता नारू एवं लहरू पिता नारू का नाम भैरू पिता नारू दर्ज किये जाकर पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एवं बॉण्डस पद्धति के आधार पर विभाजन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किये जाकर ओदश दिये जाते है। विभाजन योजना दो–दो प्रतियों में प्रस्तुत करे पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे इसी अनुरूप प्रारम्भिक डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रारम्भिक डिक्री

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 93 / 2017

अनवान

1 भैरूलाल पिता लहरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
2 किशनलाल पिता लहरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
3 विष्णु पिता जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द
2 तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
3 अर्जूनलाल पिता बलदेव जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
4 शोभालाल पिता बलदेव जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
5 जीतमल पिता कासीराम जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
6 मनोहरलाल पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
7 बंशीलाल पिता ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
8 श्यामलाल पिता ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
9 गिरवर पिता जीतमल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा
10 शांतिलाल पिता ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जूणदा

प्रतिवादीगण

दावा :– **अन्तर्गत धारा 53, 136,88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
वादी की ओर से :– श्री प्रकाश चंद्र, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से :– पेरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 29 / 11 / 2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम जुणदा के आराजी संख्या 2032 रकबा 28–12 बिघा में जमना पिता नारू का नाम धन्ना पिता नारू एवं लहरू पिता नारू का नाम भैरू पिता नारू दर्ज किये जाकर पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एवं बॉण्डस पद्धति के आधार पर विभाजन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किये जाकर ओदश दिये जाते है। विभाजन योजना दो–दो प्रतियों में प्रस्तुत करे पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे ।

आज दिनांक 25 / 11 / 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा